संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष Sanjay Kumar Agarwal Chairman



भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes & Customs

18th November, 2024

DO No. 47/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleague,

Last week, the Board inaugurated the CBIC's GST & Customs Pavilion at the India International Trade Fair 2024 in New Delhi, themed "Facilitating Trade, Fostering Economy". The pavilion aims to spread awareness through Educational Videos, helpdesks to resolve queries, career guidance, a peek into the world of CBIC through digital displays, Nukkad Natak, Magic Show, Puppet Show, Caricature Artist and informative brochures. Further, the event introduced the Red Panda as the CBIC's official mascot to represent the GST & Customs at the India International Trade Fair 2024. The Red Panda embodies the values of duty, precision, and trust. Red Panda's dual nature, gentle yet strong, reflects the mission of the CBIC to balance delicacy with strength, and ensure the free flow of trade while maintaining vigilant oversight.

In line with the PM Gati Shakti National Master Plan's goals of improving logistics infrastructure, efficiency, and promoting sustainability, the CBIC has introduced key relaxations for Customs Cargo Service Providers (CCSPs). The reforms, introduced recently, include a reduction in the mandatory insurance coverage for goods stored in Customs areas from 10 to 5 days, reducing costs for service providers. Additionally, the license renewal process has been withdrawn for CCSPs meeting international AEO standards, synchronizing their licenses with their AEO authorization resulting in Ease of Doing Business for such logistics operators. These measures are part of the Government's ongoing efforts to reduce the cost and compliance burden, improve the efficiency of EXIM operations, and facilitate global trade.

The DGGI Pune Zonal Unit has unearthed an organized tax evasion mechanism by offshore online gaming platforms. The investigation against certain entities operating from overseas territories revealed that these entities were wilfully evading IGST liabilities as mandated under Section 14A of the IGST Act read along with Rule 31A of the CGST Rules, which imposes 28% IGST on the face value of bets. As the blocking of URLs of these platforms did not yield much results, the officers resorted to tracing of financial transactions to identify the pipeline of revenue leakage. The probe uncovered that such websites/apps keep changing the linked UPI IDs every 30 seconds and move the funds through various accounts to evade scrutiny. Not surprisingly, the linked accounts were found to be "mule accounts" created using KYC documents of unrelated individuals. Using specialised software, DGGI Pune identified the chain of bank accounts resulting in the provisional attachment of 1,376 bank accounts securing a reported balance of Rs. 2.10 crore across 295 accounts. This operation underscores the misuse of the evolving digital economy and banking systems. Excellent investigation by DGGI Pune!

On the Customs preventive front, officers of the Air Intelligence Unit (AIU) at Chennai International Airport intercepted 25 passengers from three inbound flights the same day and their thorough search led to recovery of 42 concealed 24 Karat crude gold chains, weighing a total of 19.567 kilograms and valued at approximately Rs. 15 crores. These gold chains were concealed in person of these passengers, many of whom were first-time flyers or tourists, and had been enticed by an unidentified individual abroad to act as carriers in exchange for Rs. 10,000 each. This interception showcases how smugglers are continually evolving new ways to conceal and smuggle gold illegally. The prompt action of Chennai Customs officers is highly commendable!

Until next week!

Yours sincerely,

Sille

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष Sanjay Kumar Agarwal Chairman



भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes & Customs

18 नवम्बर, 2024

DO No. 47/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी.

पिछले सप्ताह, बोर्ड ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में CBIC के GST और कस्टम्स पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसका थीम था "व्यापार को सुगम बनाना, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना"। इस पवेलियन का उद्देश्य शैक्षिक वीडियो, हेल्पडेस्क के माध्यम से प्रश्नों के समाधान, करियर मार्गदर्शन, डिजिटल प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, कठपुतली शो, कैरिकेचर आर्टिस्ट और विवरणिका पुस्तिकाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाना है। इस कार्यक्रम में CBIC के आधिकारिक प्रतीक के रूप में "रेड पांडा" को रखा गया, जो GST और कस्टम्स का सांकेतिक रूप से प्रतिनिधित्व करेगा। रेड पांडा कर्तव्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वास के मूल्यों को दर्शाता है। इसमें कोमलता और दढ़ता का दोहरा स्वभाव CBIC के उस मिशन को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साथ सतर्क निगरानी भी शामिल है।

प्रधानमंत्री गित शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार, दक्षता बढ़ाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लक्ष्यों के अनुरूप, CBIC ने कस्टम्स कार्गी सर्विस प्रोवाइडर्स (CCSPs) के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। हाल ही में लागू किए गए सुधारों में कस्टम क्षेत्रों में संग्रहीत माल के लिए अनिवार्य बीमा कवरेज की अवधि को 10 दिनों से घटाकर 5 दिन किया गया है, जिससे सेवा प्रदाताओं की लागत में कमी आएगी। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय AEO मानकों को पूरा करने वाले CCSPs के लिए लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। इसके तहत उनके लाइसेंस AEO प्राधिकरण के साथ सिंक्रोनाइज़ किए जाएंगे, जिससे लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों के लिए व्यापार में सुगमता सुनिश्चित होगी। ये उपाय सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं, जो लागत और अनुपालन बोझ को कम करने, EXIM संचालन की दक्षता में सुधार और वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे हैं।

DGGI पुणे ज़ोनल यूनिट ने ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा एक संगठित कर चोरी तंत्र का खुलासा किया है। कुछ विदेशी क्षेत्रों से संचालित इन इकाइयों के अन्वेषण से पता चला है की इन्होने IGST

अधिनियम की धारा 14A और CGST नियम 31A का जानबूझकर उल्लंघन किया जिसके तहत 28% IGST लागू होता है। इन प्लेटफॉर्म्स के URL को ब्लॉक करने के प्रयास सफल नहीं हुए, जिसके बाद अधिकारियों ने राजस्व लीकेज की जांच के लिए वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की । जांच में पता चला कि ये वेबसाइट/ऐप्स हर 30 सेकंड में जुड़े हुए UPI IDs बदलते हैं और फंड को विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर जांच से बचते हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि इन खातों को "mule account" पाया गया, जो असंबंधित व्यक्तियों के KYC दस्तावेजों का उपयोग करके बनाए गए थे। विशेष सॉफ़्टवेयर की मदद से DGGI पुणे ने बैंक खातों की श्रृंखला का पता लगाया और 1,376 बैंक खातों को अस्थायी रूप से संलग्न किया, जिनमें से 295 खातों में कुल 2.10 करोड़ रुपये की राशि थी। यह ऑपरेशन डिजिटल अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम के दुरुपयोग को उजागर करता है। DGGI पुणे की उत्कृष्ट जांच सराहनीय है!

कस्टम्स प्रिवेंटिव फ्रंट पर, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) के अधिकारियों ने एक ही दिन में तीन इनबाउंड उड़ानों के 25 यात्रियों को रोका और उनकी गहन तलाशी में 42 छिपे हुए 24 कैरेट कच्चे सोने की चेन बरामद की, जिनका कुल वजन 19.567 किलोग्राम और मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपये था। ये चेन इन यात्रियों के शरीर पर छुपाई गई थीं, जिनमें से कई पहली बार उड़ान भरने वाले या पर्यटक थे, और जिन्हें विदेश में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 10,000 रुपये के बदले कैरियर के रूप में काम करने के लिए प्रलोभित किया गया था। यह अवरोध दर्शाता है कि तस्कर लगातार सोने को छिपाने और अवैध रूप से तस्करी करने के नए तरीके खोज रहे हैं। चेन्नई कस्टम्स अधिकारियों की यह कार्रवाई अत्यंत सराहनीय है!

अगले सप्ताह तक !

भवदीय.

मंजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।